



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 42-2018 Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 10, 2018 (PHALGUNA 19, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 10th March, 2018

No. 12-HLA of 2018/4097.— The University of Health Sciences, Karnal (Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 12- HLA of 2018

UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, KARNAL (AMENDMENT) BILL, 2018

A

Bill

further to amend the University of Health Sciences, Karnal Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the University of Health Sciences, Karnal (Amendment) Act, 2018. Short title.
2. In the long title of the University of Health Sciences, Karnal Act, 2016 (hereinafter called the principal Act), for the words and sign “UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, KARNAL”, the words and sign “PANDIT DEEN DAYAL UPADHAYAYA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, KARNAL” shall be substituted. Amendment of long title of Haryana Act 27 of 2016.
3. In the preamble to the principal Act, for the words and sign “University of Health Sciences, Karnal”, the words and sign “Pandit Deen Dayal Upadhayaya University of Health Sciences, Karnal” shall be substituted. Amendment of preamble to Haryana Act 27 of 2016.

Amendment of short title of Haryana Act 27 of 2016.

4. In the short title of the principal Act, for the words and sign “University of Health Sciences, Karnal”, the words and sign “Pandit Deen Dayal Upadhayaya University of Health Sciences, Karnal” shall be substituted.

Amendment of section 2 of Haryana Act 27 of 2016.

5. In clause (x) of section 2 of the principal Act, for the words and sign “University of Health Sciences, Karnal”, the words and sign “Pandit Deen Dayal Upadhayaya University of Health Sciences, Karnal” shall be substituted.

Amendment of section 3 of Haryana Act 27 of 2016.

6. In sub-section (1) of section 3 of the principal Act, for the words and sign “University of Health Sciences, Karnal”, the words and sign “Pandit Deen Dayal Upadhayaya University of Health Sciences, Karnal” shall be substituted.

Amendment of section 12 of Haryana Act 27 of 2016.

7. In clause (viii) of section 12 of the principal Act, for the words and sign “University of Health Sciences, Karnal”, the words and sign “Pandit Deen Dayal Upadhayaya University of Health Sciences, Karnal” shall be substituted.

Amendment of section 20 of Haryana Act 27 of 2016.

8. In section 20 of the principal Act, for the words and sign “University of Health Sciences, Karnal”, wherever occurring, the words and sign “Pandit Deen Dayal Upadhayaya University of Health Sciences, Karnal” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The University of Health Sciences Karnal Act was notified by Law and Legislative Department vide notification dated 21.09.2016. The University of Health Sciences, Karnal is being set up to establish a University in the State for the purposes of affiliating, teaching, ensuring proper and systematic instruction, training, research and extension in modern systems of Medical Science & Research field. The main campus of the University will be at village Kutail at Karnal. It has been decided to change the name of the University from "University of Health Sciences, Karnal" to "**Pandit Deen Dayal Upadhyaya, University of Health Sciences, Karnal**". Therefore, the necessary amendment within "University of Health Sciences, Karnal Act, 2016" will be required.

ANIL VIJ,
Health and Medical Education &
Research Minister, Haryana

Chandigarh:
The 10th March, 2018.

R.K. NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2018 का विधेयक संख्या-12 एच०एल०ए०

स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल (संशोधन) विधेयक, 2018

स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल अधिनियम, 2016,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- संक्षिप्त नाम । 1. यह अधिनियम स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है ।
- 2016 के हरियाणा अधिनियम 27 के वृहत् नाम का संशोधन । 2. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में, "स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
- 2016 के हरियाणा अधिनियम 27 की प्रस्तावना का संशोधन । 3. मूल अधिनियम की प्रस्तावना में, "स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
- 2016 के हरियाणा अधिनियम 27 के संक्षिप्त नाम का संशोधन । 4. मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में, "स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
- 2016 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 2 का संशोधन । 5. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (भ) में, "स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, " पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
- 2016 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 3 का संशोधन । 6. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, "स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
- 2016 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 12 का संशोधन । 7. मूल अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (viii) में, "स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
- 2016 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 20 का संशोधन । 8. मूल अधिनियम की धारा 20 में, "स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल" शब्द तथा चिह्न, जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, "पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल का अधिनियम का विधि एवं परामर्शी विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.09.2016 द्वारा गजट में प्रकाशित किया जा चुका है। उक्त स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल की स्थापना राज्य में चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उचित एवं व्यवस्थित शिक्षा के उद्देश्य के लिए की गई है। विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर गांव कुटेल, जिला करनाल में स्थापित किया जाएगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि उक्त विश्वविद्यालय का नाम स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल से बदलकर “**पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल अधिनियम, 2016**” में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

अनिल विज,
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा एवं
अनुसंधान मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 10 मार्च, 2018.

आर.के. नांदल,
सचिव।